उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-47/2015/43सीएम/92-1-2015-43(जॉच)/2014,
दिनांक: लखनऊ: 04 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 04-6-2014 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद-श्रावस्ती के विकास खण्ड, इकौना में वर्ष 2012-13 के लिए चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम-भरथापुर के निरीक्षण में पूर्व में निर्मित सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता अधोमानक पाये जाने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या-2404/92-2014-43जॉच/2014, दिनांक 04-6-2014 द्वारा श्री वी0के0 दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित करते हुए श्री वी0के0 दुबे को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2- श्री वी0के0 दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध संस्थित विषयगत जॉच कार्यवाही में अन्तिम निर्णय लिये जाने में समय लगने की संभावना के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री वी0के0 दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सम्बद्ध, का निलम्बन समाप्त करते हुए सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक/विभागीय जॉच कार्यवाही यथावत् चलती रहेगी तथा उनकी नियमित तैनाती के संबंध में बाद में विचार किया जायेगा।

3- श्री वी0के0 दुबे, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में ही पूर्ववत् सम्बद्ध रहेंगे।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-47/2015/43सीएम(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र लखनऊ।
5- श्री वी0के0 दुबे, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (संबद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in